दलित महिलाओं की समस्या और समाधान

अरविन्द यादव

शोध छात्र

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज)

भारत में दलित स्त्रियों को उनके जाति के आधार पर हजारों साल से विभेदीकरण का शिकार बनाया जा रहा है। इनके साथ उत्पीड़न, अत्याचार, भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण होता आया है और आज भी यह जारी है। रुथ मनोरमा के अनुसार ''दलित महिलाओं को उनके गरीब होने, महिला होने और दलित होने के नाते तीन स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है''[1]

भारतीय समाज में असमानता बनी हुई है। दलित महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा गया, जिसके कारण दलित महिलाएं पुर्वाग्रह, भेदभाव, अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार होती है। डा0 अम्बेडर ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के अथक प्रयास किए, क्योंकि वे महिलाओं की उन्नति के पक्षधर थे। वे दलित महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। दलित महिलाओं की दयनीय हालत को देखते हुए, डा0 अम्बेडकर ने दलित महिलाओं में चेतना जागृत करने के लिए एक नारा बुलंद किया और संदेश दिया ''शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो।''[2] लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि दलित इसको अपनाने में पूरी कामयाब नहीं रहे। दलित महिलाएं संवैधानिक स्तर पर तो अपने संघर्ष के परिणामस्वरूप अपने नागरिक अधिकारों को तो प्राप्त करने में सफल रही हैं लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है।

हमारा देश विभिन्न प्रकार की जातियों और उपजातियों में विभाजित है। महिलाएं किसी भी देश और समाज के विकास की मुख्य धुरी होती है, जो पत्नी, माँ, बहन के रूप में परिवार की अंगरक्षक बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन यह दुखद प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण और भूमण्डलीकरण के युग में भी दलित महिलाएं अपने अधिकारों को पाने में नाकामयाब प्रतीत होती है। जिसके मूल में जाति व्यवस्था है। दलित महिलाएं समाज में तिहरी गुलामी से पीड़ित है। प्रमुखतः दलित समुदाय की महिलाओं को वर्गीय असमानता अर्थात समाज में समानता प्राप्त न होना, जातिय भेदभाव और घर में उनके अधिकारों का हनन करना। दलित कवयित्री सरूपारानी के शब्दों में ''घर में पुरूष अहंकार एक गाल पर थप्पड़ मारता है,

तो गली में जातीय अहंकार दूसरे गाल पर''[3] आज भी समाज की मानसिकता में विशेष बदलाव नहीं हुआ है, समाज आज भी दलित महिलाओं को हेय दृष्टि से देखता है।

गांव की अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि दलित महिलाएं सीधी जुड़ी होती हैं, लेकिन उत्पादन पर उनका अधिकार न के बराबर है, क्योंकि वह कृषि मजदूर के रूप में जुड़ती हैं। दलित महिलाओं के पास बहुत ही कम जमीने हैं जो समस्याओं का मूल है।ॅ६। की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार ''महिलाएं विशेषतः दलित महिलाएं पुरूषों से तीन गुना अधिक कार्य करती हैं किन्तु उनके पास संपूर्ण संपत्ति का मात्र 2.2ः भाग ही है''।[4] दलित महिलाओं के पास संसाधनों की कमी है जो उनके आत्मनिर्भर बनने की राह में रोड़ा है।

दलित महिलाओं का उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है। उच्च जातियों की औरतों का उत्पीड़न घर की चारदीवारी तक सीमित होता हैं। दलित महिलाओं के साथ घर के भीतर और बाहर हर स्थान पर शोषण होता है, घर में घरवालों के द्वारा और बाहर समाज के द्वारा। दलित महिलाओं की अस्मिता को गिराने में समाज ने अपने प्रभुत्व का गलत प्रयोग किया है। यदि समूचे देश में 2014 का आंकड़ा देखा जाय तो 2230 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, 143 दलित महिलाओं को नंगा करके सरेआम घुमाया गया, 2354 महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई और 758 दलित महिलाओं का अपहरण किया गया।[5] ये सब सरकारी आंकड़े हैं, यदि वास्तविकता देखी जाये तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा होगा क्योंकि अधिकतर बार दलित स्त्री पर हो रहे अत्याचार पर एफ.आई.आर. भी नहीं होता हैं उत्तर प्रदेश में दलित स्त्री के द्वारा सवर्ण परिवार की बाल्टी छू जाने पर ही उसकी हत्या कर दी गई। दलितों पर इस समय सामूहिक हमले हो रहे हैं। बद्री नारायण के अनुसार ''दलित जब भी अपने अधिकारो ंको मनवाने की बात करता है, उस पर हमला होता है।''[6] दलितों में शिक्षा बढ़ रही है, जिसके कारण वो अपने अधिकारों और बराबरी की मांग कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए उनके अधिकारों को कुचलने के लिए उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, या इज्जत लुटना उन्हें नीचे दिखाने का तरीका है दलित महिलाएं खेतों में काम करने या मजदूरी करने के दौरान भी आसान शिकार बन जाती है, जिसके कारण बलात्कार के मामले हो रहे हैं। प्दजमतदंजपवदंस क्ंसपज ैवसपकंतपजल छमजूवता ने दलित स्त्रियों को झेलनी पड़ रही हिंसा को नौ हिस्सों में बांटा है।[7] जिनमें से छः उनकी जाति आधारित पहचान के चलते होती है और तीन जेण्डर की पहचान के चलते। जाति के नाम पर उन्हें यौन हिंसा, गाली गलौज, मारपीट, हमलों का शिकार होना पड़ता है तो जेण्डर के चलते उन्हें कन्या भ्रूण हत्या, जल्दी शादी के चलते बाल यौन अत्याचार और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। अगर गहराई से देखा जाये

तो हम देख सकते हैं कि समाज में लगभग अदृश्य नागरिक की स्थिति में डाल दी गई दलित स्त्रियों के साथ भेदभाव विभिन्न स्तरों पर चलता है–

- परिवार की सहायता करने के लिए श्रम बाजार या लेबर मार्केट में जल्द पहुँचने की मजबूरी।
- आमतौर पर लांछन वाले एवं दासोचित्त हल्के रोजगार का मिलना, मिसाल के तौर पर हाथ से मल उठाने के व्यवसाय की जिसकी समाप्ति के लिए केन्द्र सरकार दो बार कानून बना चुकी है। इसमें लगभग 5–6 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें 95ः महिलायें होती हैं अर्थात बेहतर नौकरियों से तथा शिक्षा के बेहतर अवसरों से आम तौर पर वंचित।
- घरेलू हिंसा के मामले में शीर्ष पर 24.6ः दलित महिलाएं विगत 12 महीनों में हिंसा की शिकार हुई। छब्त्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के खिलाफ जितने अपराध दर्ज होते हैं, उनमें ज्यादातर दलित स्त्रियों के खिलाफ होते हैं।[8]
- दलित महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी फिसड्डी हैं। यूनाइटेड नेशन्स वूमन की तरफ से जारी रिपोर्ट 'ज्तंदेवितउपदह चतवउपेमे पदजव ।बजपवद रू ळमदकमत मुनंसपजल पद 2030 ।हमदकंश के मुताबिक ''भारत की औसत दलित स्त्री उच्च जातियों की महिलाओं की तुलना में 14.6 साल पहले कालकवलित होती है।''[9] ऐसा सैनिटेशन की खराब स्थिति और अपर्याप्त सुविधाओं के चलते होता है, जिसकी मार सर्वाधिक दलित स्त्रियों पर पड़ती है और उनकी जीवन रेखा कमजोर पड़ती है।

इस प्रकार हम देखे तो प्रमुखतः हम समस्याओं को चार भागों में बांट सकते हैं–

1. उच्च जातियों तथा घर के अंदर–बाहर अधीनता।
2. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वांचितता।
3. हीनता की भावना जिससे असुरक्षा जन्म लेती है।
4. मूलभूत सुविधाओं की अभावग्रस्तता।

जाहिर है कि इन तमाम सुनियोजित प्रक्रियाओं का समग्र असर यही होता है कि सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य से दलित महिलाएं बाहर कर दी जाती हैं, जो उन्हें अदृश्य नागरिक के तौर पर समाज की निचली सतह तक सीमित कर देता है।

प्रश्न उठता है कि इससे बचा कैसे जाय? यह समझना होगा कि भारत में स्त्रियों को सिंगल इकाई नहीं समझा जाता है। जाति–जेण्डर की आपसी अन्तर्गुथन समाज में किसी की स्थिति को निर्धारित करता है। भारत में जातियों के बीच गोत्र विवाह की जो

परम्परा चली आ रही है उसके आधार पर समाज में व्यक्ति का ओहदा तय होता हे। एक रास्ता सामाजिक आंदोलन का होगा, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के हमारे संघर्ष के समानांतर स्त्रियों की दोयम स्थिति को दूर करने के लिए भी कदम बढ़ाने होगें। दूसरा रास्ता सरकार को अपनाना होगा 2030 का संयुक्त राष्ट्र का एजेण्डा है श्स्मंअम दव वदम इमीपदकश अर्थात किसी को पीछे न छोड़ो, इसका मतलब है कि जो सबसे अधिक हाशिए पर है, ऐसे लोग जो सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण और आर्थिक तौर पर सबसे अधिक हाशिए पर है, उनकी जरूरतों को सरकार पहले पूरी करे।

दलित महिलाओं को कार्य करने की स्वतंत्रता पहले भी थी, आज भी है लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है।[10] सरकार को संसाधन उपलब्ध करवाने होगें। संसाधन कृषि भूमि के रूप में हो सकता है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर हो सकता है या स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देकर विकसित करना हो सकता है या समावेशी शिक्षा के साथ कौशल विकास के कार्यक्रम हो सकते हैं। अनामिका के अनुसार ''जीवन वहीं है जहां संघर्ष है, और संघर्ष दलित स्त्रियों का पेटपोंछना बच्चा है, पीठ पर इसे बांधकर लगातार खट सकती है, जैसे कंधो पर असबाब टांगे सिपाही।''[11] अतः दलित स्त्रियों में प्रतिरोध और संघर्ष की ताकत उपलब्ध है। लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रेरणा और संसाधन की आवश्यकता है।

डा0 अम्बेडकर ने कहा था कि दलित महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से भारत पिछड़ा हुआ हें विकास में दलित महिलाओं की भागीदारी होना भी अत्यंत आवश्यक हें यह सत्य है कि डा0 अम्ब्डकर ने अस्पृश्यता की बीमारी को समाप्त करने के लिए शिक्षा को अपनाया, वर्तमान में दलित महिलाएं डा0 अम्बेडकर के शिक्षित बनो के सिद्धांत को अपनाते हुए दिख रहीं हैं। दलित महिलाओं के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ नागरिकों को भी उठानी चाहिए और दलित महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। राज्यों, नगरो, जिलो, गावों और कस्बों में दलित महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकालनी चाहिए। विश्वविद्यालयों, कालेजों में महिला सशक्तिकरण और दलित महिलाओं की समस्या पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। स्कूलों में बालिका। शिक्षा से सम्बन्धित महीने में लेक्चर आयोजित करना चाहिए।

मनरेगा जैसे योजनाओं ने दलित महिलाओं के जीवन में व्यापक सुधार लाई हैं। अतः सरकार को ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

दलित महिलाओं के सामने प्राचीन काल से ही चुनौतियों का अंबार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ढेर सारा संवैधानिक सुधार हुए उनका व्यापक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है और चीजें बेहतर भी हुई हैं। लेकिन अभी बहुत सुधार और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। अतः सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से दलित महिलाओं को मजबूत कर चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1ण डंदवतउं तनजीए ठंबाहतवनदक पदवितउंजपवद वद कंजपज ूवउमद पद प्दकपंण

2ण कीर धनंजय, डॉ. अम्बेडकर का जीवन और उद्देश्य, प्रथम संस्करण, दिल्ली पोपुलर प्रकाशन, 1990

3ण अनामिका, स्त्री मुक्ति साझा चुल्हा, प्रथम संस्करण, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 2010

4ण ष्ैब्। त्मचवतजए 2016

5ण छंजपवदंस ब्तपउम त्मबवतके ठनतमंन 2014 त्मचवतज

6ण छंतंलंद ठंकतपए ॅवउमद भ्मतवमे ंदक क्ंसपज ेमतजपवद पद छवतजी प्दकपं रू ब्नसजनतंसए पकमदजपजल ंदक च्वसपजपबेए ैंहम च्नइसपबंजवद प्दकपं च्अजण स्जक छमू क्मसीप ;2006द्ध

7ण प्दजमतदंजपवदंस क्ंसपज ैवसपकंतपजल छमजूवता ; ।ददनंस त्मचवतज 2017द्ध

8ण छंजपवदंस ब्तपउम त्मबवतके ठनतमंन ;2016 त्मचवतजद्ध

9ण ज्नतदपदह च्तवउपेमे पदजव ।बजपवद रू ळमदकमत मुनंसपजल पद 2030 ।हमदकं ;न्दपजमक छंजपवदे ूवउमद त्मचवतज 2017द्ध

10ण झंचंकपं झंतपदए जीम अपवसमदबम वि क्मअमसवचउमदजण जीम चवसपजपबे वि प्दकमदजपजलए ळमदकमत ंदक ैवबपंस प्दमुनंसपजपमे पद प्दकपंए ॅमक ठववकेए 2002

11ण अनामिका, स्त्री मुक्ति साक्षा चूल्हा, प्रथम संस्करण, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 2010